औरतों का जन-आंदोलन

प्रफुल पर बलात्कार

26 दिसंबर 1988 की रात को गोमिया प्रखंड (बिहार) के खंभरा गांव में 13 साल की आदिवासी लड़की प्रफुल पर गांव के पांच युवकों ने मिलकर बलात्कार किया। प्रफुल विस्फोटक पदार्थ बनाने के कारखाने में काम करती है। जब वह अपनी सहेली गीता और उसकी मां के साथ लौट रही थी तब गुंडे जबर्दस्ती उसे खींच ले गए। वह चिल्लाई पर उसकी मदद को कोई नहीं आया। गीता की मां एक परिचित घर में मदद के लिए गई, उसे जवाब मिला—"रात में वहां कौन जाएगा ?"

बलात्कार के बाद ठंड लगने के कारण गुंडे आग जलाने लगे। प्रफुल ने सोचा कि वे शायद अब उसे जला देंगे। वह डर के मारे पेड़ों के बीच छिप गई। जब गुंडे चले गए तब काफी देर बाद वह घर पहुंची।

प्रफुल का सौतेला पिता है। वे सात बहनें हैं। पिता इतना नहीं कमाता कि उन्हें स्कूल भेज सके।

दूसरे दिन प्रफुल गीता के घर गई। गांव की पंचायत बैठी जिसमें तय हुआ कि हर गुंडे को 5,000 रु. जुर्माना देना होगा। इस पर गुंडों ने कहा, "हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तब क्या डकैती डालें ?" पंचायत में बैठे लोग डर गए और उन्होंने जुर्माना घटा कर 100 रु० कर दिया। इससे औरतें भड़क उठीं कि क्या 100 रु० देकर एक स्त्री का बलात्कार किया जा सकता है ?

औरतें बड़ी कठिनाई से थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करा पाई। डाक्टरी परीक्षा में बलात्कार की पुष्टि हुई। फिर भी बलात्कारियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। जब विरोध में आदिवासियों ने आवाज बुलंद की तब 10 जनवरी को पांचों बलात्कारियों को गिरफ्तार कर तेनुघाट जेल भेज दिया गया।

सैकड़ों औरतों ने जिस तरह विरोध प्रदर्शन किया वह गोमिया के इतिहास में अनूठी घटना थी। 12 महिला संगठनों ने बड़े छोटे अधिकारियों को विरोध-पत्र भेजे। 29 जुलाई 1989 को केस की सुनवाई हुई। उस समय बलात्कारी गुंडे—सुधीर मुर्मू, सनथवा कच्छप, हूरक उरांव, मनोज पासवान और शेरने लकड़ा जमानत पर छोड़ दिए गए थे। इसलिए काफी कठिनाई आई। अन्य औरतों को बलात्कार की धमकी दी गई। मामले को राजनैतिक और सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश की गई। पचास से अधिक लोग फैसले वाले दिन अदालत में मौजूद थे जिनमें अधिकांश औरतें थीं जिन्होंने बहुत हिम्मत और बहादुरी दिखाई। बलात्कारियों को 7-7 साल सख्त कैद की सजा हुई।

बलात्कारियों ने उच्चतम न्यायालय में अपील की है। फैसला जो भी हो, अब क्षेत्र के बलात्कारी समझ गए हैं कि वे मनमानी नहीं कर सकते। स्त्रियों पर जुल्म करने के मामलों की सुनवाई के लिए एक मंच बनाया गया है जिसमें महिला संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा कुछ सरकारी अफसर और वकील भी हैं और उनकी सभाएं नियमित होती हैं। □